कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–~~780~~/ 1864 रायपुर, दिनांक 04 /07/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषयः– **Diversion of forest land for non- forest Purpose under forest conservation Act, 1980 for Rehabilition & Upgrading of Dharamjaigarh Kapu road, area 10.465 ha. – regarding.**

पंजीयन क्रमांक :–FP/CG/Road/43587/2019

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्र./FC-I/IROCH-18/2023/1325 दिनांक 24.03.2023

2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–27/ 2022/ 10–2 दिनांक 25.04.2023

3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक / 1900 दिनांक 13.07.2023

–0–

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र – 1 द्वारा Rehabilition & Upgrading of Dharamjaigarh to Kapu road हेतु प्रभावित कुल 10.465 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना संभाग, बिलासपुर को प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र–3 के माध्यम से प्रेषित किया है। बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

S.No.	Condition	Compliance
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	शर्त आवेदक को मान्य है एवं तदाशय का Undertaking संलग्न है। (संलग्नक–1)
(ii)	Compensatory Afforestation: a. Compensatory afforestation shall be taken up by the User Agency carried out over 23.049 ha Orange Forest land in Khasra No. 36/1 (16.699 ha) and 69/1 (06.358 ha) at Village Kudhrikhar and Kerakona, Range- Chhal, Dist- Raigarh. at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	क्षतिपूर्ति वृक्षारापेण हेतु प्रस्तावित नारंगी वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु नारंगी वन क्षेत्र कुधरीखार ख.क. 36/1 में से 16.699 हे. तथा नारंगी वनखण्ड सिथरा ख.क. 69/1 में से 6.538 हेक्टे. कुल रकबा 23.237 हे. में शर्त अनुसार स्थानीय प्रजातियों के पौधों का चयन कर वृक्षारोपण किया जावेगा।

S.No.	Condition	Compliance
	b. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त राशि देय होती है तो आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–7)**
(v)	The User Agency in consultation with State Forest Department shall minimize the felling of trees and retain maximum numbers of trees in outer RoW. A detailed report in this regard shall be submitted to IRO, Raipur, MoEF&CC.	आवेदक संस्थान राज्य वन विभाग के परामर्श अनुसार वृक्षों की कटाई को कम करेगी और बाहरी पंक्ती में वृक्षों की संख्या को अधिकतम बनाये रखेगी। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–7)**
(vi)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal *(https://parivesh.nic.in/)*:	सभी प्रकार का भुगतान CAMPA मद में e-portal के माध्यम से किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–8)**
(vii)	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006	FRA के अंतर्गत निरंक है। कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–9)**
	(No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;	
(viii)	The User Agency in consultation with State Forest Department shall construct wildlife passages in the form of underpasses (box culverts of approximately 3 x 4 mtrs) at regular interval in forest land as well as in non-forest areas, where there is traditional route of wildlife movement, for smooth movement of wildlife and cattle as suggested by Wildlife Institute of India in	राजस्व क्षेत्र में – इस सड़क में पूर्व निर्मित 02 नग Major Bridge 1. Ch. 1+800 लम्बाई 180 मी. चौ. 8.40 मी. उचाई 8.00 मी. 2. Ch. 19+200 लम्बाई 100 मी. चौ. 8.40 मी. उचाई 7.50 मी. ए.डी.बी. द्वारा प्रस्तावित – (i) 06 Minor Bridge Length 8-48 m. (Span 8-12 m.) Height 2-7.5 m.

S.No.	Condition	Compliance
	intervals and take up other suitable measurements along the road passing through the proposed forest area. Details of the same shall be submitted at the time of Stage- I compliance;	
(x)	State Forest Department shall undertake avenue plantation of tall plants as per IRC norms at the cost of User Agency. The State forest department shall prepare the plantation proposal giving preference to the native forest tree species including fruit-bearing tree species. Details of the same shall be submitted at the time of Stage- I compliance;	राज्य वन विभाग आवेदक संस्थान की लागत पर IRC मापदंण्डो के अनुसार लंबे पौधो का वृक्षारोपण करेगा। राज्य वन विभाग फलदार वृक्ष प्रजातियों सहित देशी वन वृक्ष प्रजातियो को वरियता देते हुए प्रस्ताव तैयार करेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–12)**
(xi)	The User agency shall take up the soil conservation measures in consultation with the State Forest Department, wherever necessary. Details of the same shall be submitted at the time of Stage- I compliance;	आवेदक संस्थान के द्वारा वन विभाग के निर्देशानुसार मृदा संरक्षण हेतु आवश्यक Retaining Wall का निर्माण किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–13)**
(xii)	The existing carriageway in the forest area, which will not be used after re-alignment, shall be dismantled and the land shall be handed over back to the State Forest Department;	वर्तमान में वन क्षेत्र में जो सड़क उपयोग में नही है उसको तोड़कर वन विभाग को हस्तांतरित किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–14)**
(xiii)	The boundary of the diverted forest land. shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	परिवर्तित वन भूमि को चिन्हांकित कर 4 फीट के RCC Pillar से सुरक्षित किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–15)**
(xiv)	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas;	वन विभाग के निर्देशानुसार वन क्षेत्र में निश्चित दूरी पर गति नियंत्रक सूचक बोर्ड लगाया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। **(संलग्नक–16)**

S.No.	Condition	Compliance
	to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	Forest & Climate Change) के शर्त एवं नियमों का पालन करेगी। आवेदक का Undertaking संलग्न है। (संलग्नक–25)
(xxiv)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	किसी भी प्रकार का तोड़–फोड़ वनक्षेत्र में नही किया जावेगा/वन संरक्षण अधिनियम (Government of india ministry of Environment, Forest & Climate Change) का पालन किया जावेगा। आवेदक का Undertaking संलग्न है। (संलग्नक–26)
(xxv)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक संस्थान समय–समय पर Ministry of Environment, Forest & Climate Change से प्राप्त वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निर्देशो का पालन करेगी। आवेदक का Undertaking संलग्न है। (संलग्नक–27)
(xxvi)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	पालन प्रतिवेदन e-portal (https://parivesh.nic.in/). में अपलोड किया गया।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (02 प्रति में)

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–~~780~~ 845/1865 रायपुर, दिनांक 04/07/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)**, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। प्रस्तावित वन क्षेत्र में खड़े 1970 वृक्षों के विदोहन हेतु प्रस्ताव में संलग्न वृक्ष विदोहन योजना अनुसार अनुशंसा की जाती है।
2. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

– एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 24.03.2023 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत **एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।**

– वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी के पी.डी खाते में वृक्षों के विदोहन हेतु जमा राशि के आहरण की अनुमति पृथक से भू–प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।

3. **वनमंडलाधिकारी,** धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़ छत्तीसगढ़।
4. **परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)** छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम, संभाग बिलासपुर जिला बिलासपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़